Sl. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–37/2015
मालो यादव पे0–छोटन यादव – आवेदक

बनाम

03/4/18 श्रीमति शोभा देवी पे0–शिबू महतो विपक्षी सं0–01
साकिन–सोनो, जिला–जमुई।

आदेश

मालो यादव पे0–छोटन यादव, साकिन–सोनो, थाना–सोनो, जिला–जमुई के द्वारा शोभा देवी पति शिबु महतो के नाम कायम जमाबन्दी सं0–2331 में रकवा सुधार लाने हेतु लाया गया है। बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा–08 (1) अन्तर्गत लाया गया है।

वाद में निम्नलिखित भूमि सन्निहित है :–

अंचल का नाम	राजस्व ग्राम एवं थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
सोनो	सोनो/14	01	2011	$2\frac{1}{2}$ डी0	2331

विपक्षीगण के द्वारा प्रत्युितर दाखिल किया गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक का दावा है कि खाता सं0–01, खेसरा सं0–2011 का खतियानी, रकवा–10 डी0 है। भूमि वकाश्त खाते की है। आवेदक का कथन है कि जमींदार गुरू प्रसाद सिंह, खैरा स्टैट ने वर्ष 1920 में अपनी जमींदारी लक्खी प्रसाद गोयनका को बेच दिया। लक्खी प्रसाद गोयन के द्वारा प्रश्नगत वर्ष 22.02.1961 को भूदान यज्ञ समिति को दान दी गई। वाद सं0–1711 से दान की सम्पुष्टि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय से की गई। तत्पश्चात् आवेदक को भू–दान यज्ञ समिति से 03 डी0 भूमि का पर्चा दिनांक–16.09.1987 को प्राप्त हुआ। तब से वे प्रश्नगत खेसरा (अंश भाग) 03 डी0 पर मकान बना कर रह रहे है। आवेदक का कथन है कि 3 $\frac{1}{2}$ डी0 भूमि पर उनका बर्षो से दखल है। 3 डी0 के भू–दान पर्चा उपलब्ध है। बावजूद भू–दान पर्चा के आलोक में उनके पक्ष में जमाबन्दी कायम नहीं की जा रही है। आवेदक के अनुसार राजस्व कर्मचारी के द्वारा उन्हें संसूचित किया गया है कि खेसरा सं0–2011 के खतियानी रकवा–10 डी0 के विरूद्ध 09 डी0 भूमि के जमाबन्दी विपक्षी शोभा देवी के नाम से कायम कर दी गई है। ऐसी परिस्थिति में जब तक उक्त 09 डी0 भूमि जमाबन्दी सं0–2331 से कम से कम–$2\frac{1}{2}$ डी0 खारिज नहीं की जाती है तब तक उनके पर्चा/दखल कब्जा के बावत 3 $\frac{1}{2}$ डी0 भूमि की जमाबन्दी का सृजन नहीं किया जा सकता है। कर्मचारी के अनुसार प्रश्नगत खेसरा का खतियानी रकवा 10 डी0 है ऐसी परिस्थिति में आवेदक तथा विपक्षी की जमाबन्दी में निहित रकवा को जोड़कर 10 डी0

A Home Jud

से अधिक नहीं हो सकता है। अतएव 3 $\frac{1}{2}$ डी० भूमि की जमाबन्दी के लिए अपेक्षित है कि मूल जमाबन्दी में 3 $\frac{1}{2}$ डी० भूमि उपलब्ध है।

अंचल अधिकारी, सोनो ने उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को भेजे अपने पत्रांक–3691 दिनांक–20.08.14 में प्रतिवेदित किया है कि खेसरा सं०–2011, खतियानी रकवा–10 डी० में से विपक्षी शोभा देवी के कब्जे में 6$\frac{1}{2}$ डी० है जिस पर उनका मकान अवस्थित है तथा 3 $\frac{1}{2}$ डी० भूमि आवेदक मालो यादव दखल कब्जे में है जिसपर आवेदक भूमि मालो यादव का मकान अवस्थित है। अंचल अधिकारी, सोनो ने विपक्षी शोभा देवी के पक्ष में दखल–कब्जा के आधार पर 6 $\frac{1}{2}$ डी० तथा आवेदक मालो यादव के पक्ष में भू–दान पर्चा के आलोक में 3 $\frac{1}{2}$ डी० जमाबन्दी सुधार करने का अनुशंसा किया है।

आवेदक का कहना है कि विपक्षी का वासगीत पर्चा फर्जी दस्ताबेज है। इनके द्वारा वासगीत पर्चा की कॉपी/छाया–प्रति भी दाखिल नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, सोनो ने पंजी–2 में प्रविष्ट प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवेदित किया है कि वासगीत पर्चा वाद 01/86–87 के आधार पर जमाबन्दी का सृजन है। उल्लेखनीय है कि इस प्रविष्ट के पास किसी कर्मी/पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। अपितु कर्मचारी के मेल में फर्जी तरीके से इसे 03 डी० कर दिया गया है। अंचल अधिकारी के अनुसार वासगीत पर्चा वाद सं०–01/87–88 से संबंधित अंचल में कोई पंजी/वासगीत पर्चा की प्रति (फॉर्म–G) उपलब्ध नहीं है। विपक्षी के द्वारा भी ऐसी कोई पर्चा की प्रति जमा नहीं की गई है।

आवेदक के अनुसार वासगीत पर्चा (फॉर्म–G) में निर्गत होता है तथा अंचल अधिकारी को ही Under act "समाहर्त्ता" की शक्ति प्रत्यायोजित है तथा ततसमय ही अंचल द्वारा ही लगान कर निर्धारण किया जाता है। ऐसी परिस्थिति लगान निर्धारण के लिए उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के यहाँ अभिलेख भेजने या लगान निर्धारण की बात करना एक मनगठन्त कहानी है।

आवेदक का यह भी कहना है कि जब दिनांक–22.02.1961 को लक्खी प्रसाद गोयनका ने प्रश्नगत खेसरा को दान पत्र से भूदान यज्ञ समिति को दान दे दिया तो उक्त जमीन पर वर्ष 1987–88 में "वासगीत" पर्चा देने का प्रश्न नहीं है। प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व भू–दान यज्ञ कमिटी में निहित हो गया था। ऐसी परिस्थिति में भू–दान यज्ञ कमिटी के भूमि पर वासगीत पर्चा वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है।

आवेदक का कहना है कि विपक्षी यह भी बताने कि स्थिति में नहीं है कि उनके "Land lord"कौन थे अर्थात् किस रैयत के स्वामित्व की भूमि पर उन्हें वासगीत पर्चा दिया गया है। आवेदक के अनुसार वासगीत पर्चा के लिए जरूरी है कि, व्यक्ति "Privileged tenant" हो, अर्थात् अन्य व्यक्ति के अधीन विशेष समझौता के तहत Homested land धारण करता हो। द्वितीय इस भूमि–धारण के एवज में "Privileged tenant" के द्वारा किसी भी रूप में किराया देय हो। यह किसी सेवा के रूप में भी देय हो सकता है।

आवेदक के अनुसार विपक्षी के द्वारा इस न्यायालय में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि भूदान यज्ञ समिति के स्वामित्व वाली भूमि में उनके "Land lord' कौन थे। " किसी सेवा" के एवज में वे "Homested" धारण किये। अतएव वासगीत पर्चा वाद सं०–01/86–87 एवं मनगठन्त कहानी है तथा आवेदक की भूमि हड़पने का प्रयास है।

आवेदक का यह भी कहना है कि जिला पदाधिकारी, जमुई ने विविध वाद 23/2011 दिनांक–31.07.2013 को नियमानुकूल पर्चा निर्गत नहीं रहने के कारण

A Home Jud

वाद सं0–01/1986–87 के द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द कर दिया गया है। उक्त पर्चा के संदर्भ में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा दिनांक–02.09.1987 को लगाये गये निर्धारण वाद के आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा विविध वाद सं0–06/2010–11 के आवेदक श्री मालो यादव के आवेदन को अस्वीकृत किया गया था। समाहर्त्ता, जमुई ने वाद सं0–23/2011 आदेश तिथि–31.07.2013 के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा विविध वाद सं0–06/2010–11 पारित आदेश (मालो यादव के आवेदन को अस्वीकृत किय जाने का आदेश को) निरस्त कर दिया गया है।

आवेदक के अनुसार जिला दण्डाधिकारी के उक्त आदेश से लगान निर्धारण वाद सं0–01/86–87 दिनांक–02.09.1987 से कायम जमाबन्दी सं0–2331 स्वतः विखण्डित हो गई। साथ ही अंचल अधिकारी 01./86–87 के विखण्डन से निर्गत पर्चा भी पुनः आदेश पारित होने तक स्वतः विखण्डित हो गई।

जिला दण्डाधिकारी, जमुई के उक्त Remand back के आदेश से उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा वाद सं0–06/10–11 में पुनः सुनवाई की गई। दिनांक–26.11.14 को आदेश पारित की गई।

(i) उक्त आदेश में जमाबन्दी सं0–2331 पर पर्चा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ii) BPTH के प्रावधानों के तहत विपक्षी (इस वाद में) के पक्ष में अंचल अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार ने Remand back के आदेश के आलोक में अधिकारी, सोनो को भू–दान पर्चा एवं दखल–कब्जा के आधार पर विपक्षी के वासगीत पर्चा की रकवा में संशोधन करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेजने का निदेश दिया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के दिनांक–26.11.14 के आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनो ने विविध वाद सं0–01/15–16 से अपर समाहर्त्ता, जमुई को जमाबन्दी सं0–2331 में दखल कब्जा/पर्चा के आधार पर $6\frac{1}{2}$ डी0 रकवा निर्धारण तथा आवेदक के पक्ष में भू–दान पर्चा/कब्जा के परिप्रेक्ष्य में $3\frac{1}{2}$ डी0 भूमि का जमाबन्दी सुधार करने का प्रस्ताव भेजा है। आवेदक के अनुसार जिला दण्डाधिकारी, जमई के पुनः सुनवाई करने के आदेश के आलोक में कोई पर्चा के बिन्दु पर अंचल अधिकारी, सोनो द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अर्थात् पुनः सुनवाई कर विपक्षी के पक्ष में कोई वासगीत पर्चा निर्गत नहीं की गई ऐसी परिस्थिति में विपक्षी के पक्ष में किसी प्रकार की जमाबन्दी कायम रहना नियमसंगत नहीं है। अतएव जमाबन्दी सं0–2331 के सृजन का अब कोई आधार नहीं रह जाता है। अतएव जमाबन्दी सं0–2331 को पूर्ण रूप से रद्द की जाय।

आवेदक के कथनों के विरूद्ध विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कानून की नजर में यह वाद पोषणीय नहीं है।

विपक्षी का कथन है कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा विविध वाद सं0–06/2010–11 में जब आवेदक (इस वाद के) के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है तो उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण वाद लाने का प्रावधान नहीं है। अतएव वाद पोषणीय नहीं तथा "वाद" काल–बाधित है।

विपक्षी का कथन है कि उन्हें BPTH अन्तर्गत वासगीत पर्चा प्राप्त है जिसे आवेदक भी स्वीकार करते है। विपक्षी के अनुसार उने वासगीत पर्चा को प्राप्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से भूदान यज्ञ समिति का फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिनांक–16.09.87 को समिति से प्रमाण–पत्र निर्गत दिखाया गया है।

A Home Jud

विपक्षी के अनुसार भूमि बन्दोवस्त हो जाने के वाद पर्चाधारी को स्वत्व/दखल से वंचित नहीं कर सकता है। आवेदके के द्वारा वासगीत पर्चा को चुनौती ;Challange) भी नहीं किया गया है।

विपक्षी के अनुसार बन्दोवस्त भूमि पर उनका दखल–कब्जा है। मकान अवस्थित है। वासगीत पर्चा निर्गत होने के पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि पर उनका दखल कब्जा है। कर्मचारी के मेल में आकर अपने पक्ष में प्रतिवेदन समर्पित करवाया है। कानून के नजर में इसका कोई महत्व नहीं है।

BPTH के अन्तर्गत बन्दोवस्त रकवा पर से अगर कोई पर्चाधारी बेदखल हो जाता है तो कानूनी प्रावधानों के तहत BPTH पर्चाधारी को दखल दिलाये जाने का प्रावधान है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। दाखिल कागजातों, अंचल अधिकारी का विविध वाद सं0–01/15–16 के आदेश का अवलोकन किया गया।

यह वाद बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के धारा 8 (1) के तहत पुनरीक्षण वाद के रूप में लाया गया है। समाहर्त्ता, जमुई के वाद सं0–23/2011 आदेश तिथि–31.07.2013 के Remand back आदेश के विरूद्ध विविध वाद सं0–6/10–11(3/10–1/14) में दिनांक–26.11.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध यह पूर्णरीक्षण वाद लाया गया। दिनांक–26.11.2014 के आदेश में डी0सी0एल0आर0 के द्वारा विपक्षी के पक्ष में दखल–कब्जा के आधार पर रकवा का सुधार करने का विधिवत् प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया। आवेदक के अनुसार यह आदेश गलत है। वाद सं0–23/2011 आदेश तिथि–31.07.2013 के द्वारा विपक्षी के पक्ष में कायम वासगीत पर्चा रद्द कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में दखल कब्जा के आधार पर वासगीत पर्चा में रकवा सुधार का आदेश दिया जाना उनके क्षेत्राधिकार बी0पी0टी0एच0 के प्रावधनों के विरूद्ध है। बी0पी0टी0एच0 अन्तर्गत अंचल अधिकारी को भी दखल कब्ज देखकर प्रावधानों के अनुकूल नये सिरे से विपक्षी के पक्ष में वासगीत पर्चा निर्गत करने के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना था। समाहर्त्ता के आदेश के वाद विपक्षी के पक्ष में पूर्व में निगर्त वासगीत पर्चा "शून्य" है। ऐसे शून्य दस्तावेज में रकवा सुधार का प्रस्ताव मॉगने का आदेश नियमविरूद्ध है। इसी त्रुटि पूर्ण आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद लाया गया है।

आवेदक के पुनरीक्षण वाद आवेदन तथा संलग्न कागजातों के आलोक में यह वाद अंगीकृत किया गया। सम्बंधित पक्षों को सूचना निर्गत कर उनके पक्ष में सुना गया।

<u>काल–बाधित</u> " के बिन्दु पर :– जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में दायर पुनरीक्षण वाद तद्नुसार उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को पुनः सुनवाई हेतु भेजी गई अभिलेख Remand back तद्नुसार पारित आदेश के कम में अंचल अधिकारी, सोनो ने विविध वाद सं0–01/15–16 का अभिलेख अपने पत्रांक–181 दिनांक–29.04.2015 से अपर समाहर्त्ता को भेजा। दिनांक–20.06.2015 को अंचल अधिकारी, सोनो के अनुशंसा के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। स्पष्ट है कि माह–अप्रैल, 15 को ही अभिलेख इस न्यायालय को प्राप्त हो गया था। अतएव विपक्षी यह दावा स्वीकार्य नहीं है कि "वाद" काल–बाधित " है।

<u>पुनरीक्षण वाद के पोषणीयता के बिन्दु पर :–</u>

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा विविध वाद सं0–06/10–11 में पारित आदेश के विरूद्ध तथा "शून्य " दस्तावेज(समाहर्त्ता द्वारा निरस्त वासगीत पर्चा) में रकवा सुधार का अतएव आदेश दिये जाने के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 8(1) के तहत यह वाद दाखिल किया गया है। अतएव विपक्षी यह दावा स्वीकार्य नहीं है कि आवेदक को उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के जमुई के

A Home Jud

विरूद्ध पुनरीक्षण वाद लाने का अधिकार नहीं है।

जमाबन्दी सं0 2331 के सृजन का आधार "वासगीत पर्चा" के बिन्दु पर :–

जिला दण्डाधिकारी, जमुई के उक्त Remand back के आदेश से उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा वाद सं0–06/10–11 में पुनः सुनवाई दिनांक–26.11.14 को आदेश का अवलोकन किया गया। आदेश में निम्नलिखित त्रुटियॉ परिलक्षित है :–

(i) उक्त आदेश में जमाबन्दी सं0–2331 पर पर्चा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ii) BPTH के प्रावधानों के तहत विपक्षी (इस वाद में) के पक्ष में अंचल अधिकारी को पुनः सुनवाई का वासगीत पर्चा निर्गत करने के निर्णय लेने पर कोई आदेश नहीं दिया गया। अपितु समाहर्त्ता द्वारा निरस्त वासगीत पर्चा में नियम विरूद्ध रकवा सुधार का अतएव आदेश दिया गया। जिला दण्डाधिकारी, जमई के रिमाण्ड–बैक के आदेश के आलोक में कोई पर्चा के बिन्दु पर अंचल अधिकारी, सोनो द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अर्थात् पुनः सुनवाई कर विपक्षी के पक्ष में कोई वासगीत पर्चा निर्गत नहीं की गई ऐसी परिस्थिति में विपक्षी के पक्ष में किसी प्रकार की जमाबन्दी कायम रहना नियमसंगत नहीं प्रतीत होता है। जमाबन्दी सं0–2331 के सृजन का अब कोई आधार नहीं रह जाता है।

न्यायालय समाहर्त्ता के Remand back आदेश के विरूद्ध डी0सी0एल0आर0 के द्वारा विविध वाद सं0–6/10–11(3/10–1/14) में दिनांक–26.11.2014 को विपक्षी के पक्ष में दखल–कब्जा के आधार पर रकवा का सुधार करने का विधिवत् प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया जाना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। विपक्षी के पक्ष में सम्प्रति जमाबन्दी संख्या 2331 के सृजन का कोई आधार नहीं रहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक के अपील को स्वीकृत किया जाता है तथा जमाबन्दी संख्या–2331 को बिना किसी आधार का सृजन रहने के कारण (समाहर्त्ता के आदेश के वाद विपक्षी के पक्ष में पूर्व में निगर्त वासगीत पर्चा "शून्य" है।) बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9(1) अन्तर्गत रद्द किया जाता है।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, सोनो को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई। 03/4/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई। 03/4/18

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 347 /रा0, दिनांक– 12.04.2018

प्रतिलिपि–आदेश की प्रति विपक्षीगण को उपलब्ध करावे एवं इसकी प्रति अंचल अधिकारी, सोनो एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को आवश्यक कार्यार्थ भेजे।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता, 03/4/18
जमुई।

A Home Jud